जनता के लाभ वाली सेवाएं ऑनलाइन सरल व अंत्योदय पोर्टल पर करें अपलोड

- **सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने विभागाध्यों के साथ की बैठक**
- **आम आदमी के जीवन को सरल व सुगम बनाना आयोग का लक्ष्य**

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए।

चंडीगढ़, 30 नवंबर (सवेरा ब्यूरो) : हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य ही आम आदमी के जीवन को सरल व सुगम बनाना है इसलिए सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि उनके विभाग से संबंधित जितनी भी सेवाएं व योजनाएं जनता के लाभ वाली हैं, उन्हें ऑफलाइन की बजाए ऑनलाइन सरल व अंत्योदय पोर्टल पर अपलोड करवाएं। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस मुद्दे पर आज आयोग के अध्यक्ष टी.सी. गुप्ता व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष आयोग को अपने प्रस्ताव भेजने से पहले संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव व प्रशासनिक सुधार विभाग की टिप्पणी अवश्य लें। कुछ विभाग सीधे आयोग को भेज देते हैं।

141 ऑनलाइन सेवाओं को अंतोदय व सरल पोर्टल पर लाने की हुई समीक्षा

उन्होंने बताया कि बैठक में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के अधीन लाई जाने वाली 141 ऑनलाइन सेवाओं को अंतोदय व सरल पोर्टल पर लाने की समीक्षा की गई। विभागों की लंबित सेवाओं को भी यथाशीघ्र अधिसूचित करें या जिनकी जरूरत नहीं है तो उन्हें पोर्टल से गैर अधिसूचित करवाएं। बैठक में कृषि विभाग, पशुपालन, पुरातत्व एवं संग्रहालय, शिक्षा, राजस्व, उद्योग, मत्स्य, खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार, खेल एवं युवा कार्यक्रम, पुलिस, शहरी स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पर्यटन विभागों की सेवाओं की समीक्षा की गई। इनके अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

दैनिक सवेरा
Wed, 01 December 2021
epaper.dainiksaveratimes.org/c/64680438